International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 10, October- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

लोकतन्त्र पर अंबेडकर के विचार

डॉ० अनुराधा सिंह
सहायक प्राध्यापक
राजनीति शास्त्र
सी०एम०पी० डिग्री कॉलेज
प्रयागराज

सार संक्षेप

डा० भीमराव अम्बेडकर बींसवी शताब्दी के महानतम विचारकों में से है। भारतीय संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। डा० अंबेडकर ने लोकतन्त्र का कोई नवीन सिद्धांत नहीं प्रस्तुत किया अपितु उन्होंने लोकतन्त्र को जीवन का एक ढंग के रूप में परिभाषित किया जिसके लिए आवश्यक है - स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व। उन्होंने लोकतन्त्र के सामाजिक और आर्थिक आयामों को राजनीतिक लोकतन्त्र की पूर्व शर्त माना। लोकतन्त्र की सफलता के लिए जहाँ समानता, विपक्षी दलों की भूमिका आवश्यक है वही सामाजिक नैतिकता की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

मुख्य शब्द - सामाजिक लोकतन्त्र, संवैधानिक नैतिकता।

बींसवी सदी के आधुनिक विचारक डा० भीमराव अंबेडकर को उन विद्वानों और समाज-सुधारकों में स्थान दिया जाता है जिन्होंने समाज को एक नयी दिशा दी। जाति-विहीन समाज की स्थापना, समानता के प्रति आदर, कानूनी व संवैधानिक व्यवस्था के प्रति प्रेम, व्यक्ति-व्यक्ति के बीच प्रेम व भाईचारा, सत्य-न्याय नैतिकता का पालन, लोकतांत्रिक प्रणालियों में विश्वास - डा० अंबेडकर के विचार और लक्ष्य थे। अंबेडकर बुद्ध के लोकतांत्रिक विचारों से प्रभावित थे। उनका

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 10, October- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

मानना था कि बुद्ध के लोकतंत्री शासन व्यवस्था के विचार में सभी को समान अधिकार प्राप्त था। लोकतन्त्र सम्बन्धी उनका विचार अच्छे समाज के आदर्श को व्यक्त करता है जिसमें न केवल सामाजिक अपितु आर्थिक और राजनीतिक प्रजातन्त्र के भी दर्शन होते है। उनके लोकतांत्रिक विचारों के विकास में उनका सामाजिक जीवन और विदेशों में प्राप्त की गई शिक्षा और बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है। अर्थात् प्रत्येक विचारक अपने समाज व इतिहास से प्रभावित होता है।

भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। महार जाति से संबंधित होने के कारण उन्हें सामाजिक असमानता और भेदभाव का शिकार होना पड़ा। अपमान और भेदभाव के प्रतिकारस्वरूप उनकी सोच लोकतांत्रिक मूल्यों की ओर आकर्षित हुई। अंबेडकर ने आजीवन अन्याय, अत्याचार और शोषण के विरूद्ध लड़ाई लड़ी। उनके विचार भले ही क्रांतिकारी और परिवर्तनवादी थे लेकिन वे विशुद्ध रूप से संवैधानिक आधार पर सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूँढना चाहते थे।

अबेंडकर की लोकतन्त्र की परिभाषा वाल्टर बेजहाट और अब्राहम लिंकन की परिभाषा से भिन्न थी। बेजहाट लोकतन्त्र को चर्चा पर आधारित शासन संस्था (**Government by discussion**) मानतेथे। लिंकन का मानना है कि 'लोकतन्त्र लोगों की लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार है।' अंबेडकर अपनी लोकतन्त्र की परिभाषा में कहते है कि जिस शासन प्रणाली की वजह से सत्ताधारी दल सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बुनियादी बदलाव ला सकते है, इस तरह का बदलाव स्वीकार करते समय जनता किसी प्रकार की हिंसा का रास्ता नहीं अपनाती वही लोकतन्त्र का अस्तित्व है।[1] सारतः शान्तिपूर्ण तरीके से सामाजिक और आर्थिक जीवन मे परिवर्तन

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 10, October- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

करने वाली शासन प्रणाली ही लोकतन्त्र है। तात्पर्य यह है कि ऐसी प्रणाली जो लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करे।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है लोकतांत्रिक मूल्यों व विचारों को समझने के लिए हमें अंबेडकर को समझना होगा। संविधान निर्माण के समय उन्होंने न केवल अछूतों की हिमायत की अपितु कानूनी और संवैधानिक मामलों में अपनी विशेषज्ञता का परिचय भी दिया।

लोकतन्त्र संबंधी अंबेडकर का विचार एक सुन्दर सामाजिक व्यवस्था से सम्बन्धित था। एक अच्छे समाज से उनका तात्पर्य था - स्वतन्त्रता, समानता व बन्धुत्व पर आधारित समाज। लोकतन्त्र उनके लिए साध्य और साधन दोनों था। साध्य इसलिए था कि स्वतंत्रता समानता और बन्धुत्व का यह अहसास कराता है और साधन इसलिए क्योंकि लोकतन्त्र के माध्यम से ही इन तीनों को प्राप्त किया जा सकता है।[2] अंबेडकर के अनुसार लोकतन्त्र का लक्ष्य किसी वर्ग विशेष या समुदाय का हित न होकर सम्पूर्ण समाज का हित होना चाहिए। लोकतन्त्र ऐसा सामाजिक संगठन है जिसमें समाज के सभी जाति, वर्ग और समुदाय के लोग शामिल है।

लोकतन्त्र मात्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन नहीं है अंबेडकर की दृष्टि में यह एक जीवन पद्धति है, साथ रहने और साझा अनुभव का तरीका है, मात्र सरकार के एक रूप के। लोकतन्त्र सरकार चलाने से भिन्न है यह एक दूसरे के विचारों का सम्मान और सहिष्णुता की भावना है। अंबेडकर के अनुसार, 'लोकतन्त्र मात्र सरकार का रूप नहीं है, यह मुख्य रूप से संयुक्त रहन-सहन का, सामूहिक रूप से अनुभव व्यक्त करने का एक तरीका है, यह अनिवार्य रूप से सहयोगियों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का एक रवैया है।[3]

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 10, October- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

डा० अंबेडकर लोकतन्त्र को सामाजिक परिवर्तन और मानव विकास का साधन मानते थे। लोकतन्त्र वह साधन है जिसके माध्यम से सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति, असमानता से समानता की प्राप्ति व अन्याय से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। लोकतन्त्र के सम्बन्ध में प्रचलित मान्यता की लोकतन्त्र वह साधन है जिसके माध्यम से बुरे लोगों को शक्ति प्राप्त करने से रोका जा सकता है, अंबेडकर की दृष्टि से पर्याप्त नहीं था, बल्कि लोकतन्त्र वह साधन है जिसमें बिना हिंसात्मक साधनों का प्रयोग किये महत्वपूर्ण सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन किये जा सके।

अंबेडकर वैज्ञानिक सोच और तार्किकता से प्रभावित थे। नैतिक नियमों को भी समीक्षा के अधीन स्वीकार करते थे। बौद्ध धर्म को अपनाने के पीछे भी उनका तर्क था कि यह, तर्क, अन्वेषण और वाद-विवाद की अनुमति देता है। उन्होंने लिखा-'सीखने का अधिकार सबको है। सीखना मनुष्य जीवन के लिए वैसे ही जरूरी है जैसे कि भोजन... कुछ भी अपरिहार्य नहीं है। हमेशा बाध्यकारी कुछ भी नहीं है। सब-कुछ जाँच और परख का विषय है। [4] इसकी एक व्याख्या यह हो सकती है कि लोकतन्त्र में शासक वर्ग की नीतियाँ तर्क-वितर्क का विषय हो सकती है। समाज में प्रचलित नियमों को तार्किकता के आधार पर ही स्वीकार किया जाना चाहिए। अंबेडकर लोकतन्त्र के नैतिक आयामों की भी चर्चा करते है। इस नैतिकता को उन्होंने 'संवैधानिक नैतिकता' कहा है। वह भारत में संवैधानिक नैतिकता की आवश्यकता महसूस करते थे। 4 नवम्बर 1948 को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर बहस करते हुए उन्होंने कहा था कि 'भारतीय भूमि स्वभावतः अप्रजातन्त्रात्मक है और भारत में संवैधानिक नैतिकता नहीं है।' [5] संवैधानिक नैतिकता क्या है? इसका तात्पर्य है शासन के अंगो, राजनैतिक दलों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों का संवैधानिक मूल्यों और उस पर निर्मित व्यवस्था में विश्वास होना। लोकतन्त्र में वाद-विवाद की अनुमति होती है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 10, October- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

कानून बनने से पूर्व असहमति और मर्यादित बहस स्वीकार है। निर्धारित प्रक्रिया द्वारा निर्मित कानून जब लागू होता है तो जो भी निर्णय हो सबको उसका सम्मान करना चाहिए। यही आदर या सम्मान का भाव संवैधानिक नैतिकता है।

अंबेडकर कानून के शासन में यकीन रखते हैं, कानून के समक्ष सब समान हो किसी को विशेषाधिकार नही प्राप्त होना चाहिए और न कानून से किसी को छूट मिले वह संविधान को केवल कानूनी प्रावधान ही नहीं मानते थे अपितु उनका मानना था कि हमें संविधान की आत्मा को भी समझना होगा। प्रजातंत्रात्मक संविधान को शक्तिपूर्वक तरीके से चलाने के लिए नैतिकता का प्रसार आवश्यक है। संवैधानिक नैतिकता सामान्य भावना नहीं है, इसे रचना पड़ता है।

बाबा साहब ने इस रवैये पर सवाल किया कि, भारत में बहुत सारे लोग लोकतन्त्र की ऐसी चर्चा करते है जैसे वह एकदम स्थापित हो चुका है या वर्षों से यहाँ पर था।' उनकी दृष्टि में राजनीतिक लोकतन्त्र की स्थापना से पूर्व सामाजिक और आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना जरूरी है। बगैर इसके लोकतन्त्र दूर तक नहीं चल सकता। सामाजिक लोकतन्त्र से आशय है समाज की संरचना स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व के आदर्श पर हो। समाज में असमानता या विशेषाधिकार न हो। लोक एक-दूसरे के विचारों का आदर व सम्मान करे। लोकतन्त्र वह व्यवस्था है जिसमें एक वर्ग विशेषाधिकार सम्पन्न और दूसरा वंचित नहीं हो सकता, जातिविहीन समाज से पूर्व हमें वर्गहीन समाज पर जोर देना चाहिए और बन्धुत्व का भाव ही लोकतन्त्र को मजबूती दे सकता है। आर्थिक लोकतन्त्र की उनकी धारणा समाजवाद का समर्थन करती है जिसमें पूँजीवादी शोषण न हो, सबको अपने व्यवसाय चुनने का अधिकार हो, आय के स्तर पर असमानता न हो।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 10, October- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

शासन प्रणाली के स्तर पर अंबेडकर ने संसदीय लोकतन्त्र को स्वीकार किया। जिसमें यह आवश्यक है कि शासन जनता के प्रतिनिधियों के आधार पर चलाया जाय न कि वंशानुगत शासकों द्वारा। कानून निर्माण में एक वर्ग या तबका प्रभावी न हो। अंबेडकर लोकतन्त्र की सफलता के लिए कुछ शर्तों का भी उल्लेख करते है। समाज व्यवस्था में असमानता की भावना लोकतन्त्र को छिन्न-भिन्न कर देगी। समाज में उत्पीड़ित, शोषित वर्ग न हो। लोकतन्त्र की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि विरोधी दल का अस्तित्व हो। लोकतन्त्र का सही अर्थ है कि सत्ताधारी वर्ग की असीम सत्ता को नियंत्रित करने की व्यवस्था। तानाशाही में नियंत्रण की कोई गुंजाइश नहीं होती। संसद में सरकार को चुनौती देने वाले लोग चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि कानून और राजनीति के क्षेत्र में समानता के सिद्धान्त पर पूरी तरह से अमल हो।[6]

लोकतन्त्र को बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि हम संवैधानिक विधियों का सहारा ले। डा० अंबेडकर का वैधानिक तौर-तरीको में विश्वास था। सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह या असहयोग के तरीके का प्रयोग करके सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का तरीका उनकी दृष्टि में उचित नहीं था।

अंबेडकर की दृष्टि में लोकतन्त्र सिर्फ शासन प्रणाली ही नहीं है अपितु लोकतन्त्र जीवन पद्धति है, सामाजिक जीवन जीने का तरीका है। हमारी सामाजिक प्रणाली में जब स्वतन्त्रा, समानता और बन्धुत्व की भावना दृढ़ नहीं होगी, आर्थिक जीवन की असमानता समाप्त नहीं होगी तब तक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होने मात्र से सुधार नहीं हो सकता। लोकतन्त्र में कानूनों का सम्मान होना चाहिए। परिवर्तन संवैधानिक माध्यम से होने चाहिए और इससे भी बढ़कर कानूनों के पालन के समय उनकी मूल भावनाओं को भी समझना चाहिए कि इसका वास्तविक निहितार्थ क्या है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 10, October- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

सन्दर्भ सूची -

1. 'विमलकीर्ति' मेश्राम, एल०जी० (2008) और बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा .... राधाकृष्णन प्रकाशन प्राइवेड लिमिटेड, दरियागंज, नई दिल्ली, खण्ड - 5
2. Dreze Jean, (2005) Dr. Ambedkar and the Future of Indian Democracy available on http://econdse.org.
3. वही
4. https://publication.cpiml.net
5. 4 नवम्बर 1948 कान्स्टीट्यून्ट असेम्बली डिबेट्स Vol. 7
6. 'विमलकीर्ति' मेश्राम, एल०जी० (2008) वही